श्री जय प्रकाश मंडल, विशेष सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में दिनांक – 02 एवं 03 जुलाई, 2019 को राज्य के सभी नगर निकायों के प्रतिनिधियों के साथ लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्र/ए.सी./डी.सी. विपत्र/लोक लेखा समिति की कंडिका एवं महालेखाकार का अंकेक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन प्रतिवेदन आदि की समीक्षा बैठक की कार्यवाही:–

उपस्थिति पंजी के अनुसार –

विशेष सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा राज्य के सभी नगर निकायों के प्रतिनिधियों के साथ लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्र, ए.सी./डी.सी. विपत्र/लोक लेखा समिति की कंडिका एवं महालेखाकार का अंकेक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन प्रतिवेदन आदि की समीक्षा बैठक विभागीय सभाकक्ष में की गई। बैठक के क्रम में निम्न निर्देश दिए गए:–

अव्यवहृत राशि जमा कर उपयोगिता प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराना – समीक्षा के क्रम में सभी नगर निकायों के प्रतिनिधियों को निदेश दिया गया कि वित्तीय वर्ष 2003–04 से 2016–17 तक सहायक अनुदान मद की वैसी आवंटित राशि जिसका उपयोग अब तक नहीं किया गया है और निकायों के पी.एल./बैंक खाता में निष्क्रिय पड़ा हुआ है, उस राशि को सरकार के संबंधित शीर्ष में चालान के माध्यम से जमा कर चालान की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ उसका उपयोगिता प्रमाण–पत्र अगली मासिक बैठक के पूर्व विभाग में जमा करना सुनिश्चित किया जाए।

- नगर निकायों के प्रतिनिधियों को निदेश दिया गया कि जिन नगर निकायों में अनिकासी राशि का मामला लंबित है उसका अनिकासी प्रमाण–पत्र संबंधित कोषागार से प्राप्त कर उसका मूल अनिकासी प्रमाण–पत्र अगली मासिक बैठक के पूर्व विभाग में जमा किया जाए।
- नगर निकायों के प्रतिनिधियों को निदेश दिया गया कि जिन नगर निकायों में व्यय के विरूद्ध उपयोगिता प्रमाण–पत्र समर्पित नहीं किया गया है, कैशबुक की छायाप्रति के साथ उसका उपयोगिता प्रमाण–पत्र अगली मासिक बैठक के पूर्व विभाग में जमा किया जाए।
- नगर निगम, दरभंगा के प्रतिनिधि द्वारा आश्वासन दिया गया कि CFMS चालू होने के बाद पी.एल. खाता में Security मद की अवशेष राशि 254.76 लाख को

जमा कर दिया जाएगा। इस संबंध में निदेश दिया गया कि उक्त राशि को सरकार के संगत शीर्ष में चालान के माध्यम से जमा कर चालान की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ उसका उपयोगिता प्रमाण–पत्र मासिक बैठक के पूर्व विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

- नगर निगम, पूर्णियाँ एवं नगर परिषद्, जमालपुर के उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा आश्वासन दिया गया कि व्यय के विरूद्ध समर्पित नहीं की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र जमा कर दिया जाएगा। इस संबंध में निदेश दिया गया कि उसे अगली मासिक बैठक के पूर्व विभाग को उपयोगिता प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।
- नगर परिषद्, औरंगाबाद के प्रतिनिधि द्वारा आश्वासन दिया गया कि पी.एल. खाता में जमा अवशेष राशि 268.06 लाख को माह जुलाई, 2019 तक जमा कर दिया जाएगा। इस संबंध में निदेश दिया गया है कि उक्त राशि को सरकार के संगत शीर्ष में चालान के माध्यम से जमा कर चालान की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ उसका उपयोगिता प्रमाण–पत्र मासिक बैठक के पूर्व विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।
- नगर परिषद्, बाढ़ के उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा पी.एल. खाता में जमा अवशेष राशि में से 1.50 करोड़ खर्च हो गया है जिसका उपयोगिता प्रमाण–पत्र दो दिनों के अंदर विभाग में जमा कर दिया जाएगा एवं शेष राशि को भी CFMS चालू हो जाने बाद जमा कर दिया जाएगा। इस संबंध में निदेश दिया गया है कि शेष राशि को सरकार के संगत शीर्ष में चालान के माध्यम से जमा कर चालान की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ उसका उपयोगिता प्रमाण–पत्र मासिक बैठक के पूर्व विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।
- नगर परिषद्, भभुआ के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि कार्य पूर्ण हो चुका है जिसका भुगतान किया जाना शेष है। प्रतिनिधि द्वारा आश्वासन दिया गया कि CFMS चालू होने के बाद उक्त राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। इस संबंध में निदेश दिया गया कि CFMS चालू होने के बाद शीघ्र उक्त राशि का भुगतान कर उसका उपयोगिता प्रमाण–पत्र विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

- नगर परिषद्, हाजीपुर, एवं हिलसा के प्रतिनिधि द्वारा आश्वासन दिया गया कि पी.एल. खाता में जमा अवशेष राशि को इस सप्ताह के अंदर जमा कर दिया जाएगा। इस संबंध में निदेश दिया गया है कि उक्त राशि को सरकार के संगत शीर्ष में चालान के माध्यम से जमा कर चालान की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ उसका उपयोगिता प्रमाण–पत्र मासिक बैठक के पूर्व विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।
- नगर परिषद्, किशनगंज के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि पी.एल. खाता में जमा अवशेष राशि खर्च हो गया है जिसका उपयोगिता प्रमाण–पत्र बनाना बाकी है। इस संबंध में निदेश दिया गया कि खर्च की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र तैयार कर अगली मासिक बैठक के पूर्व विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।
- नगर परिषद्, महनार, मोतिहारी एवं सहरसा के प्रतिनिधि द्वारा आश्वासन दिया गया कि व्यय के विरूद्ध समर्पित नहीं की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र सोमवार (दिनांक – 08.07.2019) तक जमा कर दिया जाएगा। साथ ही यह भी आश्वासन दिया गया कि पी.एल. खाता में जमा अवशेष राशि खर्च हो जाएगा। इस संबंध में निदेश दिया गया कि व्यय के विरूद्ध समर्पित नहीं की गई राशि एवं पी०एल० खाता के विरूद्ध खर्च की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र अगली मासिक बैठक के पूर्व विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।
- नगर परिषद्, सासाराम के प्रतिनिधि ओम प्रकाश सिन्हा द्वारा 20 विन्दु से संबंधित प्रतिवेदन पर संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। इस संबंध में निदेश दिया गया कि अगली मासिक बैठक में उक्त विषय के जानकार कर्मी की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए अन्यथा कार्यपालक पदाधिकारी स्वयं उपस्थित हो। होंगे
- नगर पंचायत, वीरपुर एवं अरेराज के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि पी.एल. खाता में जमा अवशेष राशि नल–जल से संबंधित है, जिसका कार्य पूर्ण हो चूका है एवं भुगतान किया जाना शेष है। प्रतिनिधि द्वारा आश्वासन दिया गया कि CFMS चालू होने के बाद उक्त राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। इस संबंध में निदेश दिया गया कि CFMS चालू होने के बाद उक्त राशि का शीघ्र

भुगतान कर उसका उपयोगिता प्रमाण–पत्र विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

- नगर पंचायत मनेर के प्रतिनिधि द्वारा आशवासन दिया गया कि पी.एल. खाता में संधारित High mast Light की राशि को जमा कर दिया जायेगा। इस संबंध में निदेश दिया गया कि High mast Light की सम्पूर्ण राशि को सरकार के संगत शीर्ष में चालान के माध्यम से जमा कर चालान की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ उसका उपयोगिता प्रमाण–पत्र मासिक बैठक के पूर्व विभाग को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।
- नगर पंचायत, मेहसी के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि पी.एल. खाता में जमा अवशेष राशि नागरिक सुविधा एवं पंचम राज्य वित्त आयोग से संबंधित है जिसका कार्य पूर्ण हो चूका है एवं भुगतान किया जाना शेष है। प्रतिनिधि द्वारा आश्वासन दिया गया कि CFMS चालू होने के बाद उक्त राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। इस संबंध में निदेश दिया गया कि CFMS चालू होने के बाद उक्त राशि का भुगतान कर उसका उपयोगिता प्रमाण–पत्र विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।
- नगर पंचायत, ठाकुरगंज के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि पी.एल. खाता में जमा अवशेष राशि प्रशासनिक भवन, बस पड़ाव एवं डूडा से संबंधित है, जिसका कार्य पूर्ण हो चुका है एवं भुगतान किया जाना शेष है। अनिकासी प्रमाण–पत्र की लंबित राशि रू0 3.66 लाख है। इस संबंध में निदेश दिया गया है की पी०एल० के विरूद्ध व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र तथा लंबित अनिकासी राशि 3.66 लाख का संबंधित कोषागार से अनिकासी प्रमाण–पत्र प्राप्त कर उसका मूल अनिकासी प्रमाण–पत्र अगली मासिक बैठक के पूर्व विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।
- सभी नगर निकायों के प्रतिनिधियों को निदेश दिया गया कि रोकड़बही से मिलान कर सहायक अनुदान मद से संबंधित 20 विन्दुओं का प्रतिवेदन अद्यतन कर उसे प्रत्येक माह के 25 तारीख तक निश्चित रूप से MIS को भेजना सुनिश्चित किया जाए।

लंबित अंकेक्षण प्रतिवेदन – नगर निगम, मुजफ्फरपुर के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि कुल सात (7) लंबित अंकेक्षण प्रतिवेदनों को महालेखाकार (ले०प०), बिहार, पटना को भेज दिया गया है जबकि विभाग को अब तक अप्राप्त है। इस संबंध में निदेश दिया गया है कि अगले मासिक समीक्षा बैठक के पूर्व उसकी प्रति विभाग को उपलब्ध कराया जाए।

- नगर निगम, बेगूसराय के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि लंबित अंकेक्षण प्रतिवेदन– 152/2016–17 तैयार कर लिया गया है। लेकिन एक कंडिका का निराकरण नहीं होने के कारण बोर्ड द्वारा पारित नहीं हुआ है। इस संबंध में निदेश दिया गया कि दूसरा अंकेक्षण प्रतिवेदन– 392/2011–12 का अनुपालन प्रतिवेदन शीघ्र तैयार कर दोनो अंकेक्षण के अनुपालन प्रतिवेदन को बोर्ड से पारित कराकर उसे महालेखाकार (ले०प०), बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति विभाग को उपलब्ध कराया जाए।
- नगर परिषद्, फुलवारीशरीफ के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि लंबित अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0– 14/2016–17 का अनुपालन प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है। इस संबंध में निदेश दिया गया कि इस अंकेक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन प्रतिवेदन शीघ्र तैयार कर बोर्ड से पारित कराकर उसे महोलखाकार (ले0प0) बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति विभाग को भी उपलब्ध कराया जाए।
- नगर पंचायत, दिघवारा के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि लंबित अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0– 251/2013–14 व 935/2014–15 का अनुपालन प्रतिवेदन तैयार कर लिया गया है लेकिन बोर्ड एवं सशक्त स्थायी समिति भंग होने के कारण पारित नहीं हो पा रहा है। साथ ही प्रतिनिधि द्वारा यह भी बताया गया कि शीघ्र चुनाव होंगे। इस संबंध में निदेश दिया गया कि दोनों अंकेक्षण प्रतिवेदनों को बोर्ड/सशक्त स्थायी समिति से पारित कराकर उसे महोलखाकार (ले0प0) बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति विभाग को भी उपलब्ध कराया जाए।
- नगर पंचायत, मैरवा के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि लंबित अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0– 664/2010–11 का अनुपालन प्रतिवेदन तैयार कर लिया गया है, लेकिन बोर्ड की बैठक नहीं पा रही है। इस संबंध में निदेश दिया गया है कि लंबित अंकेक्षण प्रतिवेदन को सशक्त स्थायी समिति से पारित कराकर यथाशीघ्र उसे

महोलखाकार (ले0प0) बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति विभाग को भी उपलब्ध कराया जाए।

- नगर पंचायत, अरेराज के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि लंबित अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0– 160/2009–10 व 51/2016–17 का अनुपालन प्रतिवेदन तैयार कर लिया गया है एवं बोर्ड की बैठक दिनांक– 11.07.2019 को आहूत है। इस संबंध में निदेश दिया गया कि लंबित अंकेक्षण प्रतिवेदन को बोर्ड से पारित कराकर यथाशीघ्र उसे महोलखाकार (ले0प0) बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति विभाग को भी उपलब्ध कराया जाए।
- नगर पंचायत, बखरी के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि लंबित अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0– 671/2017–18 का अनुपालन प्रतिवेदन तैयार कर लिया गया है, लेकिन दो (2) कंडिका का निराकरण नहीं हो पा रहा है, जो स्ट्रीट लाईट बल्ब से संबंधित है। इस संबंध में निदेश दिया गया है कि लंबित अंकेक्षण का अनुपालन प्रतिवेदन बोर्ड से पारित कराकर यथाशीघ्र उसे महोलखाकार (ले0प0) बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति विभाग को भी उपलब्ध कराया जाए।
- नगर पंचायत, वारसलीगंज के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि लंबित अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0– 404/2007–08 का अनुपालन प्रतिवेदन तैयार कर लिया गया है, लेकिन एक (1) कंडिका का निराकरण नहीं हो पा रहा है, जो सरकारी लोन से संबंधित है। निकाय के कर्मियों द्वारा मासिक वेतन के विरूद्ध सरकारी लोन लिया गया था, जिसकी राशि रु. 1,92,753/– है, जबकि लोन से संबंधित कर्मियों का दस्तावेज नहीं मिल पा रहा है। इस संबंध में निदेश दिया गया है कि तत्कालीन बड़ा बाबू पर गबन का मामला का FIR एवं Certificate Case दायर कर उसकी अभिप्रमाणित प्रति अनुपालन प्रतिवेदन के साथ उसे महालेखाकार (ले०प०), बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति विभाग को उपलब्ध कराया जाए।
- नगर पंचायत, जयनगर के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि लंबित अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0– 285/2013–14 व 285/2016–17 का अनुपालन प्रतिवेदन तैयार कर लिया गया है, लेकिन बोर्ड की बैठक नहीं पा रही है। इस संबंध में निदेश दिया गया है कि लंबित अंकेक्षण का अनुपालन प्रतिवेदन बोर्ड/सशक्त

स्थायी समिति से पारित कराकर यथाशीघ्र उसे महोलखाकार (ले०प०) बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति विभाग को भी उपलब्ध कराया जाय।

- नगर पंचायत, झंझारपुर के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि लंबित अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0– 649/2011–12 का अनुपालन प्रतिवेदन तैयार कर लिया गया है, लेकिन बोर्ड की बैठक नहीं हो पा रही है। इस संबंध में निदेश दिया गया है कि बोर्ड/सशक्त स्थायी समिति से पारित कराकर यथाशीघ्र उसे महालेखाकार (ले0प0) बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति विभाग को भी उपलब्ध कराया जाय।
- नगर पंचायत, मेहसी के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि लंबित अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0– 1081/2016–17 का अनुपालन प्रतिवेदन तैयार कर लिया गया है, लेकिन निकाय में चुनाव के कारण बोर्ड की बैठक नहीं पा रही है। इस संबंध में निदेश दिया गया है कि बोर्ड/सशक्त स्थायी समिति से पारित कराकर यथाशीघ्र उसे महोलखाकार (ले0प0) बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति विभाग को भी उपलब्ध कराया जाय
- सभी नगर पंचायतों को पी०एल० खाता में अवशेष राशि को सरकार के संगत शीर्ष में चालान के माध्यम से जमा कर चालान की अभिप्रमाणित प्रति के साथ उसका उपयोगिता प्रमाण–पत्र मासिक बैठक के पूर्व विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही व्यय के विरूद्ध समर्पित नहीं की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र का मासिक बैठक के पूर्व विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

लंबित ए०सी०/डी०सी० विपत्र – समीक्षा के क्रम में नगर निकायों के प्रतिनिधियों को स्पष्ट किया गया कि जिन नगर निकायों में ए०सी०/डी०सी० विपत्र लंबित है उसका समायोजन कराने का उत्तरदायित्व उसी नगर निकायों का है। इसके लिए नगर निकाय के प्रतिनिधियों को निदेश दिया गया कि लंबित ए०सी० राशि का डी०सी० विपत्र BTC-27A प्रपत्र में शीघ्र तैयार कर उसे महालेखाकार (ले०ह०), बिहार, पटना को भेजते हुए उसका समायोजन कराने हेतु किसी जिम्मेवार कर्मी को प्राधिकृत किया जाए जो महालेखाकार (ले०ह०), बिहार, पटना से सम्पर्क कर उसका समायोजन कराते हुए उससे संबंधित समायोजन पत्र अगली मासिक बैठक में विभाग को उपलबध कराया जाए।

लोक लेखा समिति से संबंधित लंबित कंडिका – सी.ए.जी. का प्रतिवेदन (राजस्व प्रक्षेत्र) वर्ष 2013–14 की कंडिका 5.7 जो मोबाईल कम्पनियों व भू–स्वामियों के बीच हुए लीज एकरारनामा पर नगर निगम, कटिहार, नगर परिषद्, मधेपुरा, सिवान एवं बेतिया द्वारा 10 वर्षो से अधिक अवधि की लीज पर भूमि के बाजार मूल्य का 15 प्रतिशत तथा 10 वर्षो के लीज के मामले में भूमि के वास्तविक मूल्य का 5 प्रतिशत के दर पर मुद्रांक शुल्क आरोपित नहीं किए जाने के कारण रु. 18.34 लाख राजस्व की हानि के संबंध में नगर निगमों/परिषदों के उपस्थित प्रतिनिधियों को आवश्यक साक्ष्य आधारित अनुपालन प्रतिवेदन के साथ अगली बैठक में लाने का निदेश दिया गया।

- सी.ए.जी. का प्रतिवेदन (राजस्व प्रक्षेत्र) वर्ष 2014–15 की कंडिका 5.10 जो मोबाईल कम्पनियों तथा भू–स्वामियों के बीच हुए लीज एकरारनामा पर नगर निगम, बेगूसराय, दरभंगा, नगर परिषद्, औरंगाबाद, किशनगंज, मधुबनी एवं सहरसा द्वारा 10 वर्षो से अधिक अवधि की लीज पर भूमि के बाजार मूल्य का 15 प्रतिशत तथा 10 वर्षो के लीज के मामले में भूमि के वास्तविक मूल्य का 5 प्रतिशत के दर पर मुद्रांक शुल्क आरोपित नहीं किए जाने के कारण रु. 6.33 लाख राजस्व की हानि के संबंध में नगर निकायों के उपस्थित प्रतिनिधियों को आवश्यक साक्ष्य आधारित अनुपालन प्रतिवेदन के साथ अगली बैठक में लाने का निदेश दिया गया।
- सी.ए.जी. का प्रतिवेदन (स्थानीय निकाय) वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 की लंबित कंडिकाओं की समीक्षा की गई तथा उपस्थित प्रतिनिधियों द्वारा लंबित कंडिका की सूची उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया ताकि अगली बैठक के पूर्व अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जा सके। उक्त के आलोक में वर्षवार एवं कंडिकावार लंबित सूची को विभागीय ईमेल के माध्यम से पुनः दिनांक – 09.05.2019 को सभी नगर निकायों को उपलब्ध करा दिया गया है।
- मासिक समीक्षा बैठक के दौरान महालेखाकार (ले०प०), बिहार के लंबित अंकेक्षण का अनुपालन प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराने की बात पर अधिकांशतः यथा – (**नगर निगम** – छपरा, बेगूसराय, पटना, भागलपुर एवं बिहारशरीफ **नगर परिषद्** – नरकटियागंज, डेहरी डालमियानगर, बीहट, हाजीपुर, बेतिया, फुलवारीशरीफ, समस्तीपुर, बाढ़, भभुआ, सहरसा, मधेपुरा,

अररिया, बेनीपुर, सीतामढ़ी, बगहा, अरवल, खगड़िया, जमुई, सुल्तानगंज, सिवान, लखीसराय, सासाराम, जहानाबाद, खगौल, मोतिहारी, महनार, बांका, ढाका, दाउदनगर, फतुहा एवं बख्तियारपुर **नगर पंचायत** – जगदीशपुर, घोघरडीहा, अमरपुर, मखदुमपुर, दिघवारा, अरेराज, कटैया, लालगंज, मैरवा, रामनगर, रफीगंज, बेलसंड, बखरी, पीरो, वारसलीगंज, वैरगनिया, जयनगर, दलसिंहसराय, झंझारपुर, निर्मली, शेरघाटी, शाहपुर, जनकपुर रोड, बोधगया, चनपटिया, टेकारी, नासरीगंज, मढ़ौरा, मीरगंज, मोहनिया, कसबा, कोईलवर एवं बिहिया) प्रतिनिधियों द्वारा लंबित अंकेक्षण प्रतिवेदन बोर्ड से नहीं पारित होने का कारण अचार संहिता लागू होने का हवाला देते हैं जो निन्दनीय है। इस संबंध में निकायों में तीन महीने पूर्व से पदस्थापित नगर कार्यपालक पदाधिकारी, प्रधान लिपिक एवं लेखापाल का वेतन बंद करने का पत्र जारी का निदेश दिया गया।

(प्रशाखा – 07)

- **लेखा मिलान** – सभी नगर निकायों से शीर्षवार प्राप्ति एवं व्यय का ऑकड़ा प्राप्त होने पर विभाग के द्वारा समेकित रूप से महोलखाकार (ले० एवं ह०), बिहार के लेखा में दर्ज ऑकड़ो से लेखा मिलान किया जाना है, जिसके लिए प्रत्येक माह लेखा मिलान हेतु ऑकड़ों की मांग की जाती है, परन्तु नगर निकायों से अपेक्षित ऑकड़ा प्राप्त नहीं होने के कारण खेद व्यक्त करते हुए निदेश दिया गया कि वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए अब तक हुए प्राप्ति एवं व्यय का ऑकड़ा शीर्षवार, मदवार एवं टी.भी. नंबर सहित उसकी सत्यापित प्रति प्रत्येक माह के 10 तारीख तक निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। अन्यथा लेखा मिलान नहीं होने पर आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।
- बहुत सारे नगर निकायों – **नगर निगम** (गया, मुंगेर एवं पटना), **नगर परिषद्** (अररिया, अरवल, बगहा, बांका, बेतिया, बीहट, दाउदनगर, फारबीसगंज, गोपालगंज, खगौल, मधेपुरा, मधुबनी, नरकटियागंज, रक्सौल, समस्तीपुर एवं सिवान), **नगर पंचायत** (अमरपुर, बड़हिया, बारसोई, बिहिया, चनपटिया, घोघरडीहा, हवेली खड़गपुर, हरनौत, जदीशपुर, जनकपुर रोड, कहलगाँव, कसबा, कटैया, कोचस, महराजगंज, मनिहारी, मीरगंज, निर्मली, पीरो, शेरघाटी, सिलाव, सिमरी बख्तियारपुर, सोनपुर एवं टेकारी) के अनुपस्थिति पर खेद व्यक्त करते हुए निदेश दिया गया कि संबंधित कर्मी (प्रधान लिपिक/लेखापाल) का

माह जुलाई, 2019 में अनुपस्थित अवधि का एक दिन का वेतन स्थगित करते हुए उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी का मंतव्य मांगे जाने का निदेश दिया गया।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

30.7.19

विशेष सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक – 07/विविध–03/2018...970...न०वि० एवं आ०वि०, पटना, दिनांक – 30-07-19

प्रतिलिपि– सभी नगर आयुक्त, नगर निगम/सभी नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद् एवं नगर पंचायत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

इस आशय की सूचना अपने नगर निकायों के कर्मियों/प्रतिनिधियों को देते हुए बैठक की कार्यवाही के आलोक में अनुपालन कराते हुए उससे संबंधित प्रतिवेदन के साथ अगली बैठक में उपस्थित होने का निदेश दिया जाए।

30.7.19

विशेष सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक – 07/विविध–03/2018...970...न०वि० एवं आ०वि०, पटना, दिनांक – 30-07-19

प्रतिलिपि– प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सहायक निदेशक–सह–संयुक्त सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा – 07 एवं प्रशाखा – 07 के संबंधित कर्मी, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

30.7.19

विशेष सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग